In the Court of Addl. Sess. Judge 1 cum Special Judge, Kaimur at Bhabua
I.A No.- 01 of 2022 SC/ST Reg. Case No. 28/2019
Bhagwanpur P.S. No. 28/2019
State Vs. Paras Bind and others

10.03.2022 सभी पॉच अभियुक्तों में चार की हाजिरी है। अन्य एक भोला बिन्द की ओर से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अधिकार पत्र के साथ जमानत का आवेदन दाखिल किया गया। इसकी प्रति अभियोजन को प्राप्त है। जमानत आवेदन प्रचालित हुआ। आवेदन पर उभयपक्षों को सुना।

बचाव पक्ष का कहना है कि अभियुक्तगण निर्दोश है तथा इन्हें झूठे वाद में फसाया गया है। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि अभियुक्त विद्यार्थी है और उनको कोई अपराधिक इतिहास नही है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्तों का अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0 अपील नं0–4740/2019 के द्वारा दिया गया है। अभियुक्त पूर्व से पुलिस जमानत पर है तथा वाद में संज्ञान भी हुआ है। जिसमें एस0 सी0 एस0 टी0 एक्ट को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति का है। अतः इस अभियुक्त को भी उचित बंध पत्र पर जमानत दिया जाय।

अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद में अन्य सह अभियुक्तों का अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0 अपील नं0–4740/2019 के द्वारा दिया गया है। आज सभी अभियुक्तगण आरोप गठन हेतु न्यायालय में उपस्थित है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के आलोक में अभियुक्त भोला बिन्द को आरोप गठन के पश्चात् मो0 10,000/– रूपया का बंध पत्र तथा इसी राशि के समान दो प्रतिभू देने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सह विशेष न्यायाधीश,